Doordarshan authorities in consonance with the Bombay High Court's ruling in June, 1988 that censorship or distortion of views expressed by citizens who are interviewed by All India Radio and Doordarshan authorities, is a violation of Article 19 of the Constitution; and

(b) whether complaints of distortion have again been reported in the Press or received by Government; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINIS' TER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H K. L. BHAGAT); (a) The Station Directors of all India Radio and the Director of Doordarshan Kendra have been informed about the put port of the Judgement of the Bombay High Court for information and guidance

(b) No such complaint has come to the notice of the Government.

330. [Transferred to the 1st March, 19891.

बाल श्रमिक कल्याण योजना

331. **श्री गन्तोष बांगड़ोदिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रमिक कल्याण के लिये कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं ; और

(ख) उनका ब्योरा क्या है और राज्य-वार ऐसी योजनाओं में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : (क) और (ख) बाल श्रमिकों के लाभ के लिए इस समय निम्न-लिखित योजनाएं लागू की जा रही हैं :—

(i) स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने की योजना जिसमें बाल कर्मकारों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को परियोजनाओं को चलाने में परियोजना लागत के 75% तक की सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है । ये परियोजनाएं सामान्यतया केन्द्रों के रूप में हैं जो कि अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखरेख आदि की व्यवस्था कर रहे हैं ।

(ii) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत परियोजनाओं की एक स्कीम बाल श्रमिक की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुरू की गई है । इसकी पूर्ण वित्तीय व्यवस्था सरकार करती है । इन परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का ध्यान रखा जाता है :—

1. बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम तथा बाल श्रम से संबंधित अन्य विधानों के प्रवर्तन को तेज करना ।
2. बाल श्रमिकों के परिवारों को आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाना ।
3. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के जरिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना तथा बाल कर्मकारों को अनौप-चारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, वर्दी फ्रा तथा स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना ।
4. बाल श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जन चेतना जागृत करना ।

(iii) प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की योजना को चार राज्यों में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया जाना है । इस योजना पर व्यय को 50 : 50 आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाना है । इस योजना के अंतर्गत अभी हाल में ही दो राज्यों को निधियों की मंजूरी दी गई है ।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अधीन अभी तक आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । इनमें से तमिलनाडु में एक, राजस्थान में एक,

मध्य प्रदेश में एक, आन्ध्र प्रदेश में एक, तथा उत्तर प्रदेश में चार परियोजनाएं हैं।

बाल श्रमिक परियोजनाओं को केवल ऐसे क्षेत्रों में चलाया जाता है जहां ऐसी परियोजनाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कोई राज्यवार एक समान पैटर्न नहीं है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाएं आम तौर पर अपने लक्ष्यों में सफल होती हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत परियोजनाओं तथा प्रवर्तन तंत्र को कारगर बनाने की योजना को अभी हाल में ही शुरू किया गया है और इस समय सफलता के स्तर को आंकना उचित नहीं है।

राजस्थान में नये आकाशवाणी केन्द्रों का खोला जाना

332. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नए आकाशवाणी केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर खोले जाने का विचार है और उनकी प्रसारण क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान राज्य में निम्नलिखित दस नए रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :—

1. जैसलमेर	10 किलो वाट एफ०एम० ट्रांसमीटर, टाइप-1 (आर) स्टूडियो।
2. बाड़मेर	20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, बहु-उद्देशीय स्टूडियो।
3. चुरु	6 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहु-उद्देशीय स्टूडियो।
4. माउन्ट आबू	10 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर , बहु-उद्देशीय स्टूडियो।
5. बांसवाड़ा	6 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय), बहु उद्देशीय स्टूडियो।
6. अलवर	6 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय), बहु-उद्देशीय स्टूडियो।
7. झालावाड़	6 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय) बहु-उद्देशीय स्टूडियो।
8. चित्तौड़गढ़	6 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय) बहु-उद्देशीय स्टूडियो।
9. सवाई माधोपुर	6 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय) बहु-उद्देशीय स्टूडियो।
10. नागौर	6 किलोवाट एफ० एम० (स्थानीय) बहु-उद्देशीय स्टूडियो।